कार्यालय, उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,जौनपुर।

पत्रांकः मेडि0का0जौनपुर/2021–22/779 दिनांकः 14 अक्टूबर 2021

–: सूचना :–

उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य व सहायक आचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सेवा योजन विज्ञप्ति।

उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में रिक्त आचार्य, सह–आचार्य व सहायक आचार्य के पदो पर प्रति सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) जूम मीटिंग आनलाइन इंटरव्यू के द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित है। वर्णित पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्ते जिला जौनपुर की अधिकृत वेबसाइट http://jaunpur.nic.in एवं उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के बेवसाइट http://asmcjaunpur.edu.in पर उपलब्ध है।

रिक्त सीटों का विवरणः–

क्र0सं0	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य
		पदों की संख्या	पदों की संख्या
	एनेस्थीसिया	–	01 01
	जनरल मेडिसिन	01	01
	जनरल सर्जरी	-	01
	फार्माकोलोजी	–	01
	इमरजेन्सी मेडिसिन	–	01
	फारेन्सिक मेडिसिन	–	01 सहायक आचार्य
	फिजियोलोजी	–	01
योग		01	08

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् हैः–

1. सक्षात्कार की कार्यवाही प्रति सोमवार से लेकर शनिवार (अवकाश दिवस को छोडकर) जूम मीटिंग आनलाइन इंटरव्यू के द्वारा इच्छुक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में प्रस्तुत करना होगा।
2. संविदा पर तैनात होने वाले अभ्यर्थी की संविदा अवधि 01वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगी। **नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्य काल को पुनः बढ़ाया जा सकेगा।**
3. नियतवेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षक को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
4. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018, दिनांक 21–11–2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते शासन द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
5. **इस हेतु आवेदक को Medical Counil of India or National Medical Commission, Minimum Qualification for Medical Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित समय–समय पर जारी संशोधन/नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।**
6. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0–1, दिनांक 13–08–2019 का अनुपालन मान्य होगा। यदि किसी विशिष्टता में कैटेगरी का अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त पद को उपलब्ध अर्ह सामान्य अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा।
7. शासनादेश संख्या–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांकः 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम् आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य 60 वर्ष, सह आचार्य 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
8. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओ का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
9. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
10. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

भवदीय,

(प्रो0 शिव कुमार)
प्रधानाचार्य
उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय, जौनपुर।

संख्या : मेडि0का0जौनपुर / 2021 / 779 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषित–:

1–प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3–जिलाधिकारी जौनपुर /जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जिला जौनपुर की बेवसाइट **https://jaunpur.nic.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय / उमानाथ सिंह स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।

5–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय,जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

6–सूचना पटट्,कार्यालय मेडिकल कालेज जौनपुर।

(प्रो0 शिव कुमार)
प्रधानाचार्य
उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय, जौनपुर।